प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी जोधपुर ग्रामीण** थाना **ए.सी.बी, सी.पी.एस., जयपुर** वर्ष **2022**
प्र.इ.रि.सं. 441/2022 दिनांक 15/11/2022

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें. 7
(2) अधिनियम ....–............भा.द.स.........–................धारायें............. –........................
(3) अधिनियम ....–..............................धारायें..........................–....................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये..–..

3. (अ) रोजनामचा आम रपट .संख्या 254 समय 2:55 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– 14.11.2022 समय 01.55 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 07.09.2022 समय 09.30 ए..एम.

4. सूचना किस्म :– लिखित

5. घटनास्थल :– तहसील कार्यालय सेतरावा जिला जोधुपर।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण चौकी से बदिशा पश्चिम, करीब 110 कि0मी0
(ब) पता :– तहसील कार्यालय सेतरावा जिला जोधुपर।
....बीट सख्या.................–...................जरायमदेही सं...–.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....–..............................जिला..............–..........................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– स्वरूपसिंह
(ब) पिता का नाम : श्री भीखसिंह
(स) जन्म तिथि : 57 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता,:– भारतीय
(य) पासपोर्ट सख्या....................–..जारी होने की तिथि ...–...........
जारी होने की जगह ....–...
(र) व्यवसाय :– खेतीबाड़ी
(ल) पता :– निवासी गांव बन्नेसिंह नगर (खियांसरिया) तहसील सेतरावा जिला जोधपुर

7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 30 वर्ष जाति पालीवाल निवासी गांव मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर।

8. शिकायत/इत्तिला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण
....

9. चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)
....

10. चोरी हुई सम्पत्ति कुल मूल्य/रिश्वती राशि ....3,000/– रूपये...

11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट), (अप्राकृतिक मुत्यु मामला सं0), (यदि कोई हो तो)...

12. प्र.सू.रि. की विषय वस्तु (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जी,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण।

विषय :– रिश्वत राशि लेते हुए को पकडवाने बाबत।

महोदय,

विष्यान्तर्गत निवेदन है कि मैं स्वरूपसिंह पुत्र श्री भीखसिंह उम्र 57 वर्ष जाति राजपुत निवासी गांव बन्नेसिंह नगर (खियांसरिया) तहसील सेतरावा जिला जोधपुर मोबाईल नं. 9549438457 का रहने वाला हुं। मेरे परिवार की पुश्तैनी जमीन सेतरावा तहसील में पटवार हल्का चौरडिया के ग्राम मोतीसिंह नगर, बन्नेसिंह नगर व खियंसरिया में कुल 19 खसरो मे जमीन आई हुई है। जिसका दिनांक 22.09.2021 को हकतर्कनामा निस्पादित कर मेरी बहिने श्रीमति भंवरी कंवर, श्रीमति हंसी कंवर, श्रीमति रूकमो कंवर व श्रीमति चन्द्रकंवर ने हम चारो भाईयो सर्व श्री हरिसिंह, हडवन्तसिंह, नखतसिंह व मेरे स्वयं स्वरूपसिंह पुत्र श्री भीखसिंह के नाम किया था। जिसका म्युटेशन भरवाने के लिए मैने हल्का पटवारी को उसी दिन प्रार्थना पत्र व हकतर्कनामे का निष्पादन पत्र दे दिया था। जिसके निष्पादन की उप पंजियन सेतरावा में 44848/–रू. की रसीद कटवाकर वह भी साथ ही पटवारी जी को दे दी थी। आज तक पटवार हल्का चौरडिया के पटवारी ने म्युटेशन नही भरा तथा जिन पटवारी जी को मैने कागजात यि थे उन पटवारीजी की पोस्टींग हो जाने से नये जी 10 दिन पहले ही आये है। उनसे म्युटेशन के सम्बन्ध में मेरे पुत्र श्री भगवानसिंह ने बात की तो पटवारी जी ने मेरे पुत्र से 20,000/– रू. की मांग की है। मैं मेरे जायज काम म्युटेशन भरवाने की एवज में मेरे हल्का पटवारी जी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। मेरी व पटवारीजी की आपस में कोई लेनदेन बकाया नही है और न ही कोई आपसी रंजिश है। मैं प्रार्थना पत्र के साथ मेरे आधार कार्ड, मेरी पुश्तेनी जमीन के हकतर्कनामे से सम्बन्धित कागजात की फोटो प्रतियां सलंग्न पेश कर रहा हुं। कानुनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावे।

सही/– स्वतन्त्र गवाह श्री स्वरूपसिंह	सही/– स्वतन्त्र गवाह श्री गणपतलाल	सही/– (अमराराम खोखर) निरीक्षक पुलिस भ्र. निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	सही/– (ओमप्रकाश चौधरी) अति. पुलिस अ. भ्र.नि. ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण	प्रार्थी श्री स्वरूपसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपुत गांव बन्नेसिंह नगर (खियांसरिया) तहसिल सेतरावा जिला जोधपुर मो.नं. 9549438457

<u>कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण</u>
<u>कार्यवाही पुलिस</u>

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 07.09.2022 को वक्त 9.30 एएम. पर लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री स्वरूपसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपुत गांव बन्नेसिंह नगर (खियांसरिया) तह. सेतरावा जिला जोधपुर मो.नं. 9549438457 ने व्यक्तिगत रुप से कार्यालय में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दरियाफ्त पर बताया कि मेरे परिवार की पुश्तैनी जमीन सेतरावा तहसील में पटवार हल्का चौरडिया के ग्राम मोतीसिंह नगर, बन्नेसिह नगर व खियंसरिया में कुल 19 खसरो मे जमीन आई हुई है। जिसका दिनांक 22.09.2021 को हकतर्कनामा निस्पादित कर मेरी बहिने श्रीमति भंवरी कंवर, श्रीमति हंसी कंवर, श्रीमति रूकमो कंवर व श्रीमति चन्द्रकंवर ने हम चारो भाईयो सर्व श्री हरिसिंह, हडवन्तसिंह, नखतसिंह व मेरे स्वयं स्वरूपसिंह पुत्र श्री भीखसिंह के नाम किया था। जिसका म्युटेशन भरवाने के लिए मैने हल्का पटवारी को उसी दिन प्रार्थना पत्र व हकतर्कनामे का निष्पादन पत्र दे दिया था। जिसके निष्पादन की उप पंजियन सेतरावा में 44848/–रू. की रसीद कटवाकर वह भी साथ ही पटवारी जी को दे दी थी। आज तक पटवार हल्का चौरडिया के पटवारी ने म्युटेशन नही भरा तथा जिन पटवारी जी को मैने कागजात यि थे उन पटवारीजी की पोस्टींग हो जाने से नये पटवारी जी 10 दिन पहले ही आये है। उनसे म्युटेशन के सम्बन्ध में मेरे पुत्र श्री भगवानसिंह ने बात की तो पटवारी जी ने मेरे पुत्र से 20,000/– रू. की मांग की है। मैं मेरे जायज काम म्युटेशन भरवाने की एवज में मेरे हल्का पटवारी जी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। मेरी व पटवारीजी की आपस में कोई लेनदेन बकाया नही है और न ही कोई आपसी रंजिश है। मैं प्रार्थना पत्र के साथ मेरे आधार कार्ड, मेरी पुश्तेनी जमीन के हकतर्कनामे से सम्बन्धित कागजात की फोटो प्रतियां सलंग्न पेश

कर रहा हुं। कानुनी कार्यवाही करवाने का श्रम करावे। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने से रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर वक्त 10.30 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के श्री भीमसिंह कानि. 446 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर कानि. श्री भीमसिंह का परिवादी श्री स्वरूपसिंह से आपसी परिचय करवाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये जाकर कार्यालय का डिजिटल वाॅयस रिकार्डर अलमारी से सुरक्षित निकालकर परिवादी श्री स्वरूपसिंह एवं श्री भीमसिंह कानि. को डिजिटल वाॅयस रिकार्डर को चलाना व बंद करना समझाया गया।

दिनांक 07.09.2022 वक्त 12.36 पी.एम.पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कानि0 श्री भीमसिंह को सुपुर्द कर श्री भीमसिंह को हिदायत दी गई कि पटवार कार्यालय सेतरावा जिला जोधपुर से थोड़ा पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्ड चालु कर परिवादी श्री स्वरूपसिंह को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु परिवादी के साथ सेतरावा के लिये रवाना गया।वक्त 05.30 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कानि. श्री भीमसिंह ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि मैं व परिवादी श्री स्वरूपसिंह कार्यालय से रवाना होकर सेतरावा पहुंचकर पटवारी जी का मालुमात किया तो पता चला कि कहीं फील्ड में बाहर गये हुए है जिस पर पटवारी जी के आने का इन्तजार किया गया। पटवारी जी अब तक सेतरावा नही आये है और न ही उनकी उपस्थिती के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है। जिस पर कानि. श्री भीमसिंह को हिदायत दी गई कि आप रात्री में वहां पर ही रूककर कल दिनांक 08.09.2022 को सुबह पटवारी के आने का इन्तजार करे एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने का प्रयास करे।

दिनांक 08.09.2022 को वक्त 06.00 पी.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कानि. श्री भीमसिंह ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि आज के रोज पुरे दिन पटवारी जी के आने का तहसील सेतरावा में ही इन्तजार किया गया परन्तु पटवारी जी से सम्पर्क नही हो सका और न ही पटवारी जी की उपस्थिति के बारे में कोई जानकारी मिली तथा न ही पटवारी जी के मोबाईल फोन लग रहा हैं। परिवादी कह रहा है कि मेरे भी दो तीन दिन घरेलु निजी कार्य है। जिस पर श्री भीमसिंह कानि. को हिदायत दी गई कि आप परिवादी को गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर वहां पर ही छोडा जाकर रवाना होकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 09.09.2022 को वक्त 12.00 एएम. पर श्री भीमसिंह कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्विच ऑफ शुदा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया तथा उपरोक्त हालात निवेदन किये। डिजिटल वॉयस रिकार्डर अपनी सुरक्षा में सुरक्षित रखा गया एवं आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 10.00 एएम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री स्वरूपसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न कागजात सुपुर्द कर आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। वक्त 10.00 एएम. पर मन् अमराराम निरीक्षक पुलिस परिवादी श्री स्वरूपसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सलंग्न दस्तवेजात के लेकर अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया तथा परिवादी के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र एवं सलंग्न दस्तावेजात का भली भांती अवलोकन किया। परिवादी के प्रार्थना पत्रानुसार आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने के प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया। वक्त 11.00 एएम. पर मन् अमराराम निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व में रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये कार्यालय कानि. श्री भीमसिंह को तलब कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तथा परिवादी श्री स्वरूपसिंह से सम्पर्क बनाये रखने की हिदायत दी गई।

दिनांक 09.11.2022 को वक्त 10.45 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस को श्री भीमसिंह कानि. अवगत करवाया कि अभी वक्त करीब 10.36 एएम पर परिवादी श्री स्वरूपसिंह ने अपने मोबाईल न. 9549438457 से मेरे मोबाईल पर फोन किया व मेरे को बताया कि मैने श्री जगदीश जी पटवारी पटवार हल्का चोरडिया खिंयासरिया से फोन पर सम्पर्क किया जाने पर पटवारी जी ने मेरे को बुलाया है तथा परिवादी ने यह भी बताया कि इतने दिन तक पटवारी जी ने मेरे से सम्पर्क नही किया था तथा मै भी मेरी खेती के कार्य में व्यस्त होने से सम्पर्क नही होना बताया। जिस पर वक्त 11.08 एएम. मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानि. श्री भीमसिंह के मोबाईल फोन से परिवादी श्री स्वरूपसिंह के मोबाईल फोन पर कॉल कर अपना परिचय दिया जाकर परिवादी का परिचय प्राप्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के बारे में जानकारी प्राप्त कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन के सम्बन्ध में वार्ता कर समझाईस की गई। वक्त 11.20 एएम. मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर निकालकर कानि. श्री भीमसिंह को चलाने की समझाईस कर सुपुर्द कर परिवादी के बताये अनुसार ग्राम बावकान तालाब तहसील सेतरावा के लिए रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड कर लाने ग्राम बावकान तालाब तहसील सेतरावा पहुंच परिवादी श्री स्वरूपसिंह से सर्म्पक करने की हिदायत कर रवाना किया गया। वक्त 04.30 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस को श्री भीमसिंह कानि. ने जरिये मोबाईल फोन अवगत करवाया कि परिवादी श्री स्वरूपसिंह के बताये अनुसार परिवादी एवं श्री

जगदीश पटवारी के बीच रिश्वती राशि के सम्बन्ध में आपसी बातचीत हो गई है। श्री जगदीश जी पटवारी ने परिवादी से उसका कार्य करने की एवज में 3000/रू. की माग की है। वक्त 10.00 पी.एम. पर श्री भीमसिंह कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया तथा बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर बस से ग्राम बावकान तालाब पहुँचा जंहा पर परिवादी श्री स्वरूपसिंह बस स्टैण्ड पर उपस्थित मिला जिस पर मेरे द्वारा श्री स्वरूपसिंह से संग्दिध पटवारी के बारे में मालुमात किया तो परिवादी ने बताया कि पटवारी जी श्री जगदीश जी अभी तहसील सेतरावा पर गये हुए है वंहा पर ही मिलेंगे जिस पर मैं व परिवादी उसकी मोटर साईकिल से रवाना होकर सेतरावा तहसील कार्यालय के पास पहुँचे तथा परिवादी ने अपने स्तर पर पटवारी जी श्री जगदीशजी के बारे में जानकारी की तो पता चला कि श्री जगदीश जी पटवारी जी अभी तहसील कार्यालय सेतरावा पर ही है। जिस पर मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर तहसील कार्यालय सेतरावा के लिए रवाना किया परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से तहसील कार्यालय के अन्दर गया तथा मैं वंहा पर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री स्वरूपसिंह मेरे पास आया जिस पर मैंने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दौरान परिवादी ने मेरे को बताया कि मेरे व श्री जगदीश जी पटवारी के मध्य मेरे जमीन का हर्कतनामा का म्युटेशन भरने की एवज मे मेरे से 3000/– रूपये की मांग की है तथा मेरे को सोमवार को दिनांक 14.11.2022 को पैसे लेकर बुलाया है। उक्त हालात आपको मैंने फोन पर आपको निवेदन किये थे। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो उक्त कथनो की ताईद हुई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित अपनी अभिरक्षा में रखा तथा हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। आईन्दा अग्रीम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 11.11.2022 को वक्त 4.00 पी.एम. पर प्रस्तावित अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय पत्रांक 2427 दिनांक 11.11.2022 द्वारा अग्रेषण पत्र श्रीमान संयुक्त निदेशक कार्यालय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर के नाम प्रेषित कर कानि श्री रामकिशोर नम्बर 110 को सुपर्द कर रवाना किया गया। वक्त 5.20 पी.एम. कानि. रामकिशोर नम्बर 110 प्रस्तावित अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान के उपस्थित आया दर्ज कराया कि प्रस्तावित अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर कार्यालय हाजा से पत्रांक 2427 दिनांक 11.11.2022 द्वारा रवाना होकर श्रीमान संयुक्त निदेशक कार्यालय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर पहुँच स्वतंत्र गवाहान श्री स्वरूपसिंह पुत्र श्री मानसिंह चौधरी जाति जाट उम्र 36 साल निवासी गावं चितरोडी तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर हाल जे–161 विवेक विहार योजना जोधपुर हाल फार्मासिस्ट औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर जोन जोधपुर मोबाईल नम्बर 8107620051 व श्री गणपतलाल पुत्र श्री भीकाराम जाति प्रजापत उम्र 45 वर्ष निवासी मकान नम्बर 4 बी/5 गुणावती हाउस सुभाष चौक रातानाडा जोधपुर हाल फार्मासिस्ट औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर जोन जोधपुर मोबाईल नम्बर 8949892299 को लेकर उपस्थित आया। जिस पर उक्त स्वतंत्र गवाहान को प्रस्तावित अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 14.11.2022 को वक्त 8.00 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया जाकर रूख्सत किया गया।

दिनांक 14.11.2022 को वक्त 8.00 ए.एम. पर पाबन्द शुदा जाब्ता कार्यालय में उपस्थित हुआ पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में हाजर आय। वक्त 09.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री स्वरूप सिंह पुत्र श्री भीख सिंह कार्यालय में हाजिर आया एवं परिवादी ने बताया कि मैं आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली तीन हजार रूपये की राशि साथ लेकर आया हुँ। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित दोनों गवाहान व परिवादी का आपसी परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री स्वरूप सिंह द्वारा पेश रिपोर्ट मय दस्तावेज का दोनो गवाहान को अवलोकन करवाया जाकर आरोपी श्री जगदीश पटवारी एवं परिवादी श्री स्वरूप सिंह के मध्य दिनांक 09.11.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के संबंध मे हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिर्काडे हैं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा से निकाल कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये तो आरोपी द्वारा वक्त सत्यापन 3,000/– रुपये रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु सहमति देने की पृष्टि हुई। दोनो गवाहान द्वारा परिवादी श्री स्वरूप सिंह से परिवाद में अंकित तथ्यो व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे पूछताछ कर संतुष्ट होने पर ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की मौखिक सहमति प्रदान कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद एवं संलग्न दस्तावेज पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वीच ऑफ कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा गया। समय : 09.10 ए.एम कार्यालय हाजा के राजकीय वाहन में तकनिकी खराबी हो जाने के कारण अन्य वाहन की आवश्यकता होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसयू जोधपुर से वार्ता कर राजकीय वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन कर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसयू जोधपुर से राजकीय वाहन लाने हेतु रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री स्वरूप सिंह ने रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के आरोपी को रिश्वत में

दिये जाने वाले 3,000/–रू 500–500 रू. के कुल 06 नोट प्रस्तुत किये। उपरोक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा के नोट नंबर एवं सुपुर्दगी मे अंकित किये गये। सभी नोटो पर कार्यालय के मालखाना से श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री स्वरूपसिंह से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहने हुए कमीज की सामने की बांयी जेब में श्री ताराचन्द हैड कानि. से रखवाये गये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर गोपनीय इशारा करें। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपीगण व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन–देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत की। श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांन्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिकिया को समझाया गया। इसके बाद दृष्टांत मे काम लिया गया ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बॉक्स मे रखवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित कार्यालय हाजा की अलमारी मे रखवाकर श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को कार्यालय मे रहने की हिदायत की गई। पुराना अखबार जिस पर राशि रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था उसके रूबरू गवाहान जलाया जाकर नष्ट कराया गया। इसके पश्चात परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस मे तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नही रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 10.00 ए.एम. पर कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में परिवादी श्री स्वरुप सिंह एवं आरोपी श्री जगदीश पटवारी के मध्य दिनांक 09.11.2022 को हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड डिजीटल वाईस रिकार्डर में से निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा मैमोरी कार्ड अपनी अभिरक्षा में रखते हुए कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा गया। वक्त 10.25 ए.एम. पर मन् श्री अमराराम खोखर निरीक्षक पुलिस, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री स्वरूपसिंह, श्री गणपतलाल ब्यूरो जाब्ता श्री मोहन राम हैड कानि. 44, श्री रामकुमार सिंह कानि. 493, श्री अमर सिंह कानि. 415, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री भीम सिंह कानि. 446 एवं परिवादी श्री स्वरूप सिंह के मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली जरिये टवेरा नम्बर आरजे 14 यूसी 8906 चालक श्री लालाराम कानि. एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से सेतरावा जिला जोधपुर की तरफ रवाना हुए।

दिनांक 14.11.2022 को वक्तः 12.40 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के कस्बा सेतरावा से करीब 5 कि. मी. पहले खन्दोडी रोड पहुॅच आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परिवादी श्री स्वरूपसिंह के मोबाईल नम्बर 9549438457 से आरोपी के मोबाईल नम्बर 9530346947 पर रूबरू गवाहान परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्ता करवाये जाने पर आरोपी ने स्वंय को तहसील कार्यालय में ही होना व परिवादी को शीघ्र तहसील कार्यालय सेतरावा पहुॅचने हेतु बताया गया। वक्तः 12.50 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के कस्बा सेतरवा में तहसील कार्यालय के पास पहुॅच मन निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री भीमसिंह कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री स्वरूपसिंह के साथ रिश्वति राशि–आदान प्रदान के दौरान होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु तहसील कार्यालय सेतरावा से थोड़ा पहले पहुॅच डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द करने की हिदायत कर परिवादी के साथ पैदल ही रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के रिश्वति राशि आदान–प्रदान स्थान के पास पहुचने हेतु रवाना हुए। वक्तः 01.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय सेतरावा के आस–पास पंहुच सरकारी वाहन को सडक के किनारे गोपनीय रूप से खडा करवाया जाकर परिवादी के गोपनीय इशारे के इंतजार में मुकिम रहे। वक्तः 4.30 पी.एम. तक परिवादी श्री स्वरूपसिंह पुत्र श्री भीखसिंह जाति राजपुत गांव बन्नेसिंह नगर (खियांसरिया) तहसिल सेतरावा जिला जोधपुर ने वक्त 01.55 पी.एम. पर पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने सिर पर पहने हुये साफे को उतार कर सिर के आगे से पीछे तीन बार हाथ को घुमा कर किया अर्थात पटवारीजी ने पैसे ले लिये। जिस पर परिवादी का ईशारा मिलते ही मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता तहसील कार्यालय पटवार कार्यालय सेतरावा के मुख्य द्वारा पर पहुॅचे तो तहसील कार्यालय सेतरावा के आगे मुख्य द्वार पर परिवादी श्री स्वरूपसिंह उपस्थित मिला। जिससे पूर्व में दिया गया डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा। डिजिटल वॉयस मे रिकॉर्ड वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसकिप्ट रूबरू स्वतन्त्र गवाहान के तैयार की जावेगी। परिवादी ने बताया कि आरोपी पटवारी ने उपर के कमरे में रिश्वति राशि मेरे से एक लाल रंग के बस्ते के नीचे रखवाकर कमरे का ताला बन्द किया तथा मेरे साथ ही नीचे उतर कर ऑफिस कानूनगो के कमरे में गये है। जिस पर परिवादी को साथ को लेकर ऑफिस कानूनगो रूम में प्रवेश करने पर चश्मा पहने हुए एक व्यक्ति

जिसने हल्के हरे कलर की शर्ट पहन रखी थी की तरफ ईशारा कर बताया कि यही व्यक्ति श्री जगदीश जी पटवारी है। जिसने मेरे से अभी–अभी 3,000/– रूपये अपने कार्यालय कक्ष में एक लाल रंग के बस्ते के नीचे रखवाये है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने मय ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतन्त्र गवाहान के उक्त व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना एवं हमरायान का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 30 वर्ष जाति पालीवाल निवासी गांव मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर होना बताया। तत्पश्चात आरोपी से परिवादी की तरफ इशारा कर पूछा गया कि क्या आप इसे जानते हैं जिस पर आरोपी ने बताया कि हां मैं इसे जानता हूँ, ये श्री स्वरूपसिंह है। जिस पर आरोपी से पूछा कि क्या आपने अभी–अभी श्री स्वरूपसिंह से पैसे लिये हैं। इस पर आरोपी श्री जगदीश पटवारी ने कहा कि मैने श्री स्वरूपसिंह से किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं की हैं। श्री स्वरूपसिंह ने जबरदस्ती पैसे बस्ते के नीचे रखे है जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री स्वरूपसिंह ने आरोपी के कथनो का खण्डन करते हुए कहा कि मैने रिश्वति राशि जबरदस्ती नही रखी थी पटवारी जी द्वारा कहे अनुसार मेरे द्वारा रिश्वति राशि बस्ते के नीचे रखे थे। तत्पश्चात आरोपी से रिश्वति राशि के बारे में पुनः पूछने पर बताया कि रिश्वति राशि मेरे कमरे में स्वरूपसिंह द्वारा रखे गये स्थान पर ही रखे हुए है मेरे द्वारा रिश्वति राशि के हाथ नहीं लगाया गया है। आरोपी को स्वंय के कमरे के बारे में पूछने पर तहसील भवन के उपरी मंजिल के रसद रूम में स्वय का कार्यालय होना बताया जिस पर मन निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के आरोपी को साथ लेकर उपर की मंजिल स्थित रसद रूम के आगे पहुचे। रसद रूम के ताला लगा हुआ पाया गया जिस पर आरोपी से चाबी के सम्बध में पूछने पर आरोपी पटवारी ने स्वंय की जेब में होना बताया जाने पर रूबरू गवाहान एवं परिवादी के आरोपी से उक्त कमरे का ताला खुलवाया जाकर कमरे में प्रवेश करने पर कमरे में रखी हुई लोहे की रैक में रखे हुए एक लाल रंग के बस्ते की तरफ ईशारा कर आरोपी ने बताया कि रिश्वति राशि श्री स्वरूपसिंह द्वारा इस लाल रंग के बस्ते के नीचे रखी गई है जिसकी ताईद श्री स्वरूपसिंह द्वारा भी की गई। जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री स्वरूपसिंह से उक्त लाल रंग के बस्ते को हटवाये जाने पर उक्त लाल रंग के बस्ते के निचे 500–500 रूपये के नोट पाये गये उक्त राशि गवाह श्री स्वरूपसिंह से उठवाकर गिनवाई गई तो उक्त रिश्वती राशि 3,000/– रूपये 500–500 रू. के 6 नोट होना पाये गये। रिश्वती राशि 3,000/– रूपये 500–500 रू. के 6 नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी के नम्बरों से करवाने हेतु फर्द पेशकशी गवाह श्री गणपतलाल को सुपुर्द कर गवाह श्री स्वरूपसिंह द्वारा नोटों के नम्बर बोल बोलकर फर्द पेशकशी से मिलान करवाया जाने पर फर्द में अंकित क्रम संख्या 01 से 6 तक के नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन तैयार कर फर्द में विस्तृत रूप से तथ्यों का उल्लेख किया जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पटवारी के कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे लाल कलर के कपडे के बस्ते के नीचे जहां से रिश्वति राशि प्राप्त हुई का शील्डशुदा शिशियां, लाल कलर के कपडे के बस्ते के रिश्वति राशि स्पर्श स्थान के लिए गये धोवन की शील्ड सुदा शिशिया एवं श्री जगदीश पालीवाल पटवारी के कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे लाल कलर के कपडे के बस्ते के नीचे जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई का धोवन लेने में प्रयुक्त कपड़े की चिन्दी का शील्डशुदा पैकेट, लाल कलर के कपडे का शील्ड सुदा पैकेट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर शील्ड चेपा किये जाकर मार्क अंकित किये गये। कार्यवाही के दौरान परिवादी के पैण्डिग कार्य से सम्बधित दस्तावेज पटवारी द्वारा प्रस्तुत करने पर उक्त दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवाने हेतु मौके पर उपस्थित श्री आसुराम ऑफिस कानूनगो को निदेर्शित किया गया। 4.45 पी.एम. पर श्री आसुराम ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय सेतरावा द्वारा परिवादी श्री स्वरूपसिंह के पटवारी के पास लम्बित कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाई गई जो बाद अवलोकन शामिल रंनिग नोट की गई। वक्त 5.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान परिवादी श्री स्वरूपसिंह, दोनों गवाहान, ब्यूरो जाब्ता के परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। वक्त 5.15 पी.एम. तक आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 30 वर्ष जाति पालीवाल निवासी गांव मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर से की गई पूछताछ व की गई धोवन की कार्यवाही एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 30 वर्ष जाति पालीवाल निवासी गांव मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री स्वरूपसिंह की बहने श्रीमति भंवरी कंवर, श्रीमति हंसी कंवर , श्रीमति रूकमो कंवर एवं श्रीमति चन्द्र कंवर द्वारा श्री स्वरूपसिंह एवं उनके भाईयो के पक्ष में किये गये हकतर्क का नामान्तरण परिवादी व उसके भाईयों के नाम दर्ज करने की एवज में 3,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करना तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही 3,000/– रूपये परिवादी से आरोपी स्वंय द्वारा बोलकर अपने कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे लाल रंग के बस्ते के नीचे रखवाना तथा परिवादी के साथ अपने नियंत्रण में रसद रूम के ताला लगाकर निचे जाना तथा आरोपी के

कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे कपडे के लाल रंग के बस्ते के नीचे से उक्त रिश्वती राशि बरामद होना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 30 वर्ष जाति पालीवाल निवासी गांव मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर को जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। वक्त 05.45 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त ब्यूरो जाब्ता, स्वतन्त्र गवाहान, श्री आसुराम ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय सेतरावा जिला जोधपुर की उपस्थित में आरोपी के पटवार कार्यालय कक्ष की तलाशी ली गई जिसमें राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राशि/दस्तावेजात नहीं पाया जाने से पृथक से फर्द खाना तलाशी मुर्तिब नहीं करने का निर्णय लिया जाकर सरकारी राजस्व रिकार्ड यथा स्थिति उपस्थित श्री आसुराम ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय सेतरावा को सुपुर्द किया गया। वक्त 05.55 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंन्त्र गवाहान, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनराम हैड. कानि. श्री बचनाराम कानि. श्री रामकुमारसिंह कानि., श्री अमरसिंह कानि., भीमसिंह कानि. व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 30 वर्ष जाति पालीवाल निवासी गांव मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 चालक श्री लालाराम कानि0 मय फर्दात के मुताबिक जब्तशुदा वजह सबूत, प्रादर्श, ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर सहित एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना हुए। परिवादी श्री स्वरूपसिंह को कल दिनांक 15.11.2022 को प्रातः 08.00 बजे एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। वक्त 08.50 पी.एम. तक उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा राजकीय चिकित्सालय सेतरावा जोधपुर पहुँचे जहाँ आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पटवारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई तत्पश्चात राजकीय चिकित्सालय सेतरावा से रवाना होकर वक्त 08.41 पीएम पर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी पहुँच आरोपी को श्री जगदीश पालीवाल पटवारी को सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी कमिश्नरेट जोधपुर को सुपुर्द करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर कार्यालय पहुँच जब्त शुदा रिश्वती राशि, आरोपी के कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे लाल कलर के कपडे के बस्ते के नीचे जहां से रिश्वती राशि बरामद की गई थी उक्त स्थान लिये गये धोवन मार्क आर–1, आर–2, की सील्डशुदा शिशियां, रैक के धोवन में प्रयुक्त चिन्दी का पैकेट मार्क–सी, आरोपी के कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे लाल कलर के कपडे के बस्ते का लिया गया धोवन मार्क बी–1, बी–2 एवं लाल कलर के कपडे के बस्ते का सील्डशुदा पैकेट मार्क–बी आदि माफिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री ताराचन्द हैड कानि. 112 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को कल दिनांक 15.11.2022 को प्रातः 08.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत दी गई।

दिनांक 15.11.2022 को वक्त 08.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री स्वरूपसिंह एवं श्री गणपतलाल तथा परिवादी श्री स्वरूपसिंह एसीबी कार्यालय में उपस्थित आये। वक्त 08.25 ए.एम. पर परिवादी श्री स्वरूपसिंह एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री स्वरूपसिंह एवं आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पटवारी के मध्य हुई रिश्वती राशि की वक्त मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप दिनांक 09.11.2022 जो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं उक्त मैमोरी कार्ड मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर मे कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरु की गई। वक्त 09.20 ए.एम पर परिवादी श्री स्वरूपसिंह एवं आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पटवारी के मध्य दिनांक 09.11.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से एक सीडी तैयार की एवं मूल मैमोरी कार्ड को एक कपडे की थैली मे सिलाई कर, सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। डब सीडी को खुला ही रहने दिया गया। मूल शील्ड मैमोरी कार्ड का पैकेट एवं खुली डब सीडी को कार्यालय हाजा के हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। वक्त 09.30 ए.एम. पर परिवादी श्री पप्पुराम एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री पप्पुराम एवं आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पटवारी के मध्य दिनांक 14.11.2022 वक्त रिश्वती राशि लेन–देन हुई रूबरू वार्ता जो कार्यालय हाजा के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में नहीं होकर वॉयस रिकार्डर के इनबिल्ट मैमोरी में रिकॉर्ड है। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के कम्प्यूटर मे कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्ता को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से तैयार करना शुरु की गई। वक्त 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री स्वरूपसिंह एवं आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पटवारी के मध्य दि. 14.11.2022 को रिश्वती राशि वक्त लेन–देन वार्तालाप को सुन सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से

तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से दो सीडी तैयार की जाकर एक सीडी को मूल सीडी मानते हुए सील चस्पा कर थैली पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। डब सीडी को खुला ही रहने दिया गया। मूल शील्ड सीडी एवं खुली डब सीडी को कार्यालय हाजा के हैड कानि. श्री ताराचन्द मु.आ 112 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना जमा करवाया गया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को बाद कार्यवाही के इजाजत वापसी दी गई। वक्त 01.35 ए.एम. पर श्री ताराचन्द हैड. कानि. व श्री संजय कानि 587 मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 चालक कानि. श्री लालाराम को पुलिस थाना कुडी भगतासनी से आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पटवारी लाने हेतु रवाना किया गया जो वक्त 12.10 पी.एम. पर श्री ताराचन्द हैड. कानि. व श्री संजय कानि 587 मय सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8906 चालक कानि. श्री लालाराम पुलिस थाना कुडी भगतासनी से आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पटवारी को लेकर हाजर आये।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 30 वर्ष जाति पालीवाल निवासी गांव मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर द्वारा परिवादी श्री स्वरूपसिंह की बहने श्रीमति भंवरी कंवर, श्रीमति हंसी कंवर , श्रीमति रूकमो कंवर एवं श्रीमति चन्द्र कंवर द्वारा श्री स्वरूपसिंह एवं उनके भाईयो के पक्ष में किये गये हकतर्क का नामान्तरण परिवादी व उसके भाईया के नाम दर्ज करने की एवज में 3,000/– रूपये रिश्वति राशि की मांग करना तथा वक्त ट्रेप कार्यवाही 3,000/– रूपये परिवादी से आरोपी स्वंय द्वारा बोलकर अपने कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे लाल रंग के बस्ते के नीचे रखवाना तथा परिवादी के साथ अपने नियंत्रण में रसद रूम के ताला लगाकर निचे जाना तथा आरोपी के कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे कपडे के लाल रंग के बस्ते के नीचे से उक्त रिश्वती राशि बरामद होना पाया गया।

आरोपी श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 30 वर्ष जाति पालीवाल निवासी गांव मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर के कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे लाल कलर के कपडे के बस्ते के नीचे जहां से रिश्वती राशि बरामद की गई थी उक्त स्थान लिये गये धोवन, आरोपी के कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे लाल कलर के कपडे के बस्ते का लिया गया धोवन में हल्का गुलाबी रंग आना, 3,000/– रूपये रिश्वति राशि आरोपी के कार्यालय कक्ष में रखी लोहे की रैक में रखे लाल कलर के कपडे के बस्ते के नीचे से बरामद होना। इस तरह श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल उम्र 30 वर्ष जाति पालीवाल निवासी गांव मौखेरी पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया तहसील सेतरावा जिला जोधपुर का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते कमांकन जरिये ई–मेल प्रेषित की जा रही है।

(अमरा राम खोखर)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमराराम खोखर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री जगदीश पालीवाल पुत्र श्री बाबुलाल, पटवारी, पटवार मण्डल जेठानिया, अतिरिक्त कार्यभार पटवार हल्का खिंयासरिया, तहसील सेतरावा जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 441/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांक 3820-24 दिनांक 15.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. जिला कलक्टर, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर